*वित्त विभाग द्वारा
अनौपचारिक रूप से
परामर्शित।

संख्या– प०वि०विविध०– 17 / 10 ..... / प०वि०
बिहार सरकार
पर्यटन विभाग

दिनांक: .....

सेवा में,
महालेखाकार, बिहार,
पटना।

द्वारा:– वित्त विभाग, बिहार।*

विषय:– मधुबनी जिलान्तर्गत लक्ष्मी गोसाई मंदिर, मधेपुर, मधुबनी का विकास एवं पर्यटकीय सुविधाओं का विकास हेतु पर्यटन विभाग के वित्तीय वर्ष 2014–15 के संसूचित राज्य योजना उदव्यय से राशि 60,05,000 / – (साठ लाख पाँच हजार रूपये मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में प्रथम किस्त के रूप में राशि 12,01,000 / – (बारह लाख एक हजार रूपये ) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश: स्वीकृत ।

2. उपर्युक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :–

क– इस योजना के अन्तर्गत लक्ष्मी गोसाई मंदिर के पास पर्यटकीय सुविधाओं का विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य किया जायेगा, जिसके अन्तर्गत पर्यटन हॉल, चहारदिवारी एवं गेट, रेड सैण्ड स्टोन पेभिंग, सोलर लाईट इत्यादि कार्य किया जायेगा। इस योजना को आगामी 06 माह में पूरा कर लिये जाने की संभावना है। योजना का कार्यकारी एजेंसी, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम होंगे।

योजना का प्राक्कलन वास्तुविद आर्कीप्लस, पटना द्वारा बनाया गया है, एवं मुख्य अभियंता, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना द्वारा रूपये 65.05 लाख पर तकनीकी अनुमोदन प्राप्त है, जो महाप्रबंधक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना के पत्रांक 1227 दिनांक 05.06.2014 द्वारा प्राप्त है।

ख. – तद्नुसार मधुबनी जिलान्तर्गत लक्ष्मी गोसाई मंदिर, मधेपुर, मधुबनी का विकास एवं पर्यटकीय सुविधाओं का विकास हेतु पर्यटन विभाग के वित्तीय वर्ष 2014–15 के संसूचित राज्य योजना उदव्यय से राशि 60,05,000 / – (साठ लाख पाँच हजार रूपये मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में प्रथम किस्त के रूप में राशि 12,01,000 / – (बारह लाख एक हजार रूपये ) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ग– इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2014–15 के संसूचित राज्य योजना उद्व्यय के मुख्य शीर्ष– 5452– पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष– 01– पर्यटक अवसंरचना, लघु शीर्ष– 101– पर्यटक केन्द्र, मांग संख्या– 46, उप शीर्ष– 0104– पर्यटकीय संरचनाओं का विकास एवं विपत्र कोड– पी. 5452011010104, विषय शीर्ष– 2701– लघु निर्माण कार्य में उपबंधित राशि से की जायेगी।

घ– इस राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 दिनांक 17.04.98 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत की जायेगी।

ड.– इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी तथा इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, श्रीमती ममता मीनाक्षी, विशेष कार्य पदाधिकारी, पर्यटन विभाग, पटना होंगे।

3. निकासी की गयी रकम 12.01 लाख (बारह लाख एक हजार रूपये) मात्र को योजना के कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि० को योजना के कार्यान्वयन हेतु उनके पी०एल० एकाउन्ट में हस्तानान्तरित कर दी जायेगी।

4. योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जायेगा तथा वे योजना के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित अपनी कार्य योजना से विभाग को अवगत करायेगें। उनके द्वारा विमुक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं योजना का विडियोग्राफ / फोटोग्राफ के साथ अनिवार्य रूप से प्रत्येक माह वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन पर्यटन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

5. योजना के कार्यान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक कार्य लेख संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. योजना पूर्ण होने के उपरान्त व्यय की गयी राशि का उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्र कार्य एजेन्सी द्वारा पर्यटन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा तथा अगर कोई राशि उनके पास अधिशेष रह जाती है, तो उसे भी पर्यटन विभाग, बिहार सरकार को वापस किया जायेगा।
7. योजना के विभिन्न स्तरों पर कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्य एजेंसी द्वारा उसकी गुणवत्ता की जाँच सक्षम प्राधिकार से कराकर उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ पर्यटन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
8. संबंधित वास्तुविद् (अगर उनकी सेवा ली गयी है) से भी कार्य एजेन्सी एक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर विभाग को उपलब्ध करायेगें कि "यह कार्य उनकी देखरेख में कराया गया है तथा निर्मित संरचना पूरी तरह स्वीकृत योजना एवं अनुमोदित डिजाईन के अनुरूप है"।
9. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र और भौतिक प्रगति प्रतिवेदन पर्यटन विभाग को भेजा जायेगा।
10. स्वीकृत्यादेश पर वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या प0वि0 (विविध) –17/10 के पृ0 62/टि0 पर दिनांक 24.09.2014 को एवं प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार की स्वीकृति उक्त संचिका के पृ0 61/टि0 पर दिनांक 18.09.2014 को प्राप्त है।
11. महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।

राज्यपाल, बिहार के आदेश से,
ह०/–

(राम किशोर मिश्र)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक: प0वि0(विविध0) –17/10 /प0वि0 पटना, दिनांक: .2014

प्रतिलिपि, कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

(राम किशोर मिश्र)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक: प0वि0(विविध0) –17/10 2616/प0वि0 पटना, दिनांक: 29-9- 2014

प्रतिलिपि, विकास आयुक्त, बिहार/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना/जिला पदाधिकारी, गया/लेखा शाखा, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना (दो प्रतियों में) की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(राम किशोर मिश्र)
सरकार के अपर सचिव।

*वित्त विभाग द्वारा
अनौपचारिक रूप से
परामर्शित।

संख्या– प०वि०विविध०– 17/10 ...../प0वि0
बिहार सरकार
पर्यटन विभाग

दिनांक: .....

सेवा में,
महालेखाकार, बिहार,
पटना।
द्वारा:– वित्त विभाग, बिहार।*

विषय:– मधुबनी जिलान्तर्गत सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, काको, मधुबनी का विकास एवं पर्यटकीय सुविधाओं का विकास हेतु पर्यटन विभाग के वित्तीय वर्ष 2014–15 के संसूचित राज्य योजना उदव्यय से राशि 61,13,000/– (एकसठ लाख तेरह हजार रूपये मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में प्रथम किस्त के रूप में राशि 12,22,600/– (बारह लाख बाईस हजार छः सौ रूपये ) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश: स्वीकृत ।

2. उपर्युक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :–

क– इस योजना के अन्तर्गत सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के पास पर्यटकीय सुविधाओं का विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य किया जायेगा, जिसके अन्तर्गत घाट, मैरेज हॉल, रेड सैण्ड स्टोन पेभिंग, प्रवेश द्वार, सोलर लाईट इत्यादि कार्य किया जायेगा। इस योजना को आगामी 06 माह में पूरा कर लिये जाने की संभावना है। योजना का कार्यकारी एजेंसी, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम होंगे।

योजना का प्राक्कलन वास्तुविद आर्कीप्लस, पटना द्वारा बनाया गया है, एवं मुख्य अभियंता, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना द्वारा रूपये 61.13 लाख पर तकनीकी अनुमोदन प्राप्त है, जो महाप्रबंधक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना के पत्रांक 1227 दिनांक 05.06.2014 द्वारा प्राप्त है।

ख .– तद्नुसार मधुबनी जिलान्तर्गत सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, काको, मधुबनी का विकास एवं पर्यटकीय सुविधाओं का विकास हेतु पर्यटन विभाग के वित्तीय वर्ष 2014–15 के संसूचित राज्य योजना उदव्यय से राशि 61,13,000/– (एकसठ लाख तेरह हजार रूपये मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में प्रथम किस्त के रूप में राशि 12,22,600/– (बारह लाख बाईस हजार छः सौ रूपये ) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ग– इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2014–15 के संसूचित राज्य योजना उदव्यय के मुख्य शीर्ष– 5452– पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष– 01– पर्यटक अवसंरचना, लघु शीर्ष– 101– पर्यटक केन्द्र, मांग संख्या– 46, उप शीर्ष– 0104– पर्यटकीय संरचनाओं का विकास एवं विपत्र कोड– पी. 5452011010104, विषय शीर्ष– 2701– लघु निर्माण कार्य में उपबंधित राशि से की जायेगी।

घ– इस राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 दिनांक 17.04.98 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत की जायेगी।

ड.– इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी तथा इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, श्रीमती ममता मीनाक्षी, विशेष कार्य पदाधिकारी, पर्यटन विभाग, पटना होंगे।

3. निकासी की गयी रकम 12.226 लाख (बारह लाख बाईस हजार छः सौ रूपये) मात्र को योजना के कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 को योजना के कार्यान्वयन हेतु उनके पी0एल0 एकाउन्ट में हस्तानान्तरित कर दी जायेगी।

4. योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जायेगा तथा वे योजना के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित अपनी कार्य योजना से विभाग को अवगत करायेगें। उनके द्वारा विमुक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं योजना का विडियोग्राफ/फोटोग्राफ के साथ अनिवार्य रूप से प्रत्येक माह वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन पर्यटन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

5. योजना के कार्यान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक कार्य लेख संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. योजना पूर्ण होने के उपरान्त व्यय की गयी राशि का उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्र कार्य एजेन्सी द्वारा पर्यटन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा तथा अगर कोई राशि उनके पास अधिशेष रह जाती है, तो उसे भी पर्यटन विभाग, बिहार सरकार को वापस किया जायेगा।
7. योजना के विभिन्न स्तरों पर कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्य एजेंसी द्वारा उसकी गुणवत्ता की जाँच सक्षम प्राधिकार से कराकर उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं दस्तावेज़ी साक्ष्यों के साथ पर्यटन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
8. संबंधित वास्तुविद् (अगर उनकी सेवा ली गयी है) से भी कार्य एजेन्सी एक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर विभाग को उपलब्ध करायेगें कि "यह कार्य उनकी देखरेख में कराया गया है तथा निर्मित संरचना पूरी तरह स्वीकृत योजना एवं अनुमोदित डिजाईन के अनुरूप है"।
9. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र और भौतिक प्रगति प्रतिवेदन पर्यटन विभाग को भेजा जायेगा।
10. स्वीकृत्यादेश पर वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या प0वि0 (विविध) –17/10 के पृ0 62/टि0 पर दिनांक 24.09.2014 को एवं प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार की स्वीकृति उक्त संचिका के पृ0 61/टि0 पर दिनांक 18.09.2014 को प्राप्त है।
11. महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।

राज्यपाल, बिहार के आदेश से,

ह०/–
(राम किशोर मिश्र)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक: प0वि0(विविध0) –17/10 /प0वि0 पटना, दिनांक .2014

प्रतिलिपि, कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
(राम किशोर मिश्र)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक: प0वि0(विविध0) –17/10 2615 /प0वि0 पटना, दिनांक 29/9/ .2014

प्रतिलिपि, विकास आयुक्त, बिहार/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना/ जिला पदाधिकारी, गया/लेखा शाखा, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना (दो प्रतियों में) की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(राम किशोर मिश्र)
सरकार के अपर सचिव।

# नीतीश मिश्रा
## Nitish Mishra

**मंत्री**
ग्रामीण विकास विभाग
बिहार
- सह -
**अध्यक्ष**
राज्यस्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति,
बिहार

पत्रांक / Ref. No. : 649/मं०

दिनांक / Date : 26.8.2014

**माननीय मंत्री,**
पर्यटन विभाग,
बिहार, पटना ।

मधुबनी जिलान्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्रावस्थित विभिन्न पर्यटक स्थलों को विकसित करने हेतु विभाग के साथ कतिपय पत्राचार किये गये हैं । इसी क्रम में झंझारपुर अनुमण्डल के 5 पर्यटक स्थलों को विकसित करने हेतु विभाग में उपलब्ध प्रस्ताव, तकनीकी स्वीकृति प्राप्त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनादि के पश्चात विभागीय प्रधान सचिव के पत्रांक–1386 दिनांक–18.06.2014 द्वारा कतिपय विन्दुओं पर जिला से प्रतिवेदन की मांग की गयी थी, जो जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक–405 से 409 दिनाक–03.07.2014 द्वारा विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है । संदर्भित पत्र की प्रतियां अवलोकनार्थ संलग्न है ।

मिथिलांचल की हृदयस्थली झंझारपुर में सांस्कृतिक धरोहर से समृद्ध पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व के इन स्थलों में नागरिक सुविधाओं का नितान्त अभाव है । जिला से प्राप्त प्रतिवेदन एवं डी0पी0आर0 के अनुरूप इन स्थलों के समग्र विकास हेतु प्रस्ताव की स्वीकृति एवं आवश्यक अग्रतर कार्रवाई कराना चाहेगें ।

**शुभकामनाओं के साथ ।**

Nitish Mishra
**(नीतीश मिश्रा)** 26.8.14

कार्यालय (Office) : पुराना सचिवालय, पटना–800015, टेलीफैक्स (Telefax) : 0612-2205331
आवास (Resi.) : 12, जवाहर लाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना। दूरभाष (Tele.) : 0612-2215218, टेलीफैक्स (Telefax) : 0612-2215977
ई-मेल (E-mail) : nitishmishraoffice@gmail.com, वेबसाईट (website) : www.rdd.bih.nic.in
App-1068.doc

# समाहरणालय, मधुबनी
(जिला विकास प्रशाखा)

प्रेषक,

पत्रांक 405 / जि0वि0

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।

सेवा में,

सरकार के प्रधान सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार पटना।

मधुबनी, दिनांक 03 वीं जुलाई, 2014 ई0।

विषयः— **मधुबनी जिला अन्तर्गत झंझारपुर प्रखण्ड के सिंहेश्वर स्थान महादेव मंदिर काको, को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने संबंधित प्रतिवेदन का प्रेषण।**

प्रसंगः— आपका पत्रांक–1336 दिनांक–18.06.2014

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में झंझारपुर प्रखण्ड के सिंहेश्वर स्थान महादेव मंदिर काको, को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने हेतु भूमि उपलब्धता से संबंधित अंचल अधिकारी झंझारपुर अपने कार्यालय पत्रांक–524 दिनांक–02.07.14 एवं 513 दिनांक–01.07.14 से झंझारपुर प्रखण्ड के सिंहेश्वर स्थान महादेव मंदिर काको, के संबंध में विहित प्रपत्र मे प्रतिवेदन उपलब्ध कराया है।

उक्त दर्शनीय स्थल को पर्यटक स्थल के रूप मे विकसित करने हेतु वाँछित सूचनाए विहित प्रपत्र बिन्दुवार निम्न रूप से अंकित है :–

| | |
|---|---|
| क–क्या उपर्युक्त मंदिर स्थल सरकारी भूमि पर अवस्थित है तथा इसे विकसित एवं सौन्दर्यीकरण करने में कोई आपत्ति तो नहीं है ? | यह मंदिर सरकारी भूमि पर अवस्थित है। जिसका किस्म गैरमजरूआ खास सी0एस0 पुराना खतियान में मंदिर की जमीन है मौजा काको, थाना नं0 257 खाता नं0 492 खेसरा न0 1232 रकबा 1–73 डी0 किस्म परती कदीम खतियानी रैयत गैरमजरूआ खास है। इसे विकसित एवं सौन्दर्यीकरण करने में कोई आपत्ति नहीं है। |
| ख–अगर यह रैयती भूमि पर अवस्थित है तब क्या संबंधित रैयत द्वारा उससे संबंधित जमीन को बिहार सरकार के नाम दान दिया गया है ? | मंदिर सरकारी भूमि पर अवस्थित है। |
| ग–स्थल कच्ची / पक्की सडक से जुडा है या नहीं ? | मंदिर पक्की सड़क से जुडा हुआ है। |
| घ–स्थल free flow of traffic है या नहीं ? | यह स्थल free flow of traffic है |
| ङ–स्थल पर पूर्व से पर्यटकों की सुविधा हेतु पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, पर्यटको को ठहरने के लिये धर्मशाला / विश्रामालय उपलब्ध है या नहीं ? | यह मंदिर पूर्व से पर्यटकों की सुविधा हेतु पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था है। धर्मशाला / विश्रामालय कि व्यवस्था नही है। |
| च–पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकीय सुविधा का निर्माण करने के बाद उसका देख–रेख किस संस्था के द्वारा कितने लोगों की कमिटी के द्वारा की जाएगी। | पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकीय सुविधा का निर्माण करने के बाद इसका देख–रेख ग्रामीणों की संस्था लगभग 25 लोगों के द्वारा की जाएगी। |

अतः उपर्युक्त प्रतिवेदन के आलोक में झंझारपुर प्रखण्ड के सिंहेश्वर स्थान महादेव मंदिर काको, को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने हेतु प्राप्त प्रतिवेदन की छाया प्रति सलग्न करते हुए इसकी स्वीकृति की दिशा में समुचित कार्रवाई करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

अनुलग्नक–यथावर्णित।

विश्वासभाजन

03/7/14

जिला पदाधिकारी
मधुबनी।

## समाहरणालय, मधुबनी
**(जिला विकास प्रशाखा)**

पत्रांक...408.../जि0वि0।

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।

सेवा मे,

सरकार के प्रधान सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार पटना।

मधुबनी, दिनांक....03...वी जुलाई, 2014 इ0

विषयः— **मधुबनी जिला अन्तर्गत मधेपुर प्रखण्ड के लक्ष्मीनाथ गोंसाई मंदिर, फैटकी कुट्टी को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने संबंधित** प्रतिवेदन का प्रेषण।

प्रसंगः— आपका पत्रांक—1336 दिनांक—18.06.2014

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में मधुबनी जिला अन्तर्गत मधेपुर प्रखण्ड के लक्ष्मीनाथ गोंसाई मंदिर, फैटकी कुट्टी को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने हेतु भूमि उपलब्धता से संबंधित अंचल अधिकारी, मधेपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक—641 दिनाक—01.07.2014 से मधुबनी जिला अन्तर्गत मधेपुर प्रखण्ड के लक्ष्मीनाथ गोंसाई मंदिर, फैटकी कुट्टी के संबंध में विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराया है।

उक्त दर्शनीय स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने हेतु वॉछित सूचनाएं विहित प्रपत्र मे बिन्दुवार निम्न रूप से अंकित है :—

| | |
|---|---|
| क—क्या उपर्युक्त मंदिर स्थल सरकारी भूमि पर अवस्थित है तथा इसे विकसित एवं सौन्दर्यीकरण करने मे कोई आपत्ति तो नहीं है ? | उपर्युक्त मंदिर का स्थल मौजा बॉकी, थाना नं0 277 के रिविजनल [illegible] खतियान खाता नं0 497 श्री राधाकृष्ण लक्ष्मीनारायण ठाकुर [illegible] मसोमात फुल सुन्दरी ओझायन निवासी निज ग्राम [illegible] से है। इस प्रकार मंदिर की जमीन श्री राधाकृष्ण लक्ष्मीनारायण ठाकुर [illegible] भगवान के नाम पर है। खतियान में सेवायत का नाम भी दर्ज है। |

**रिविजनल सर्वे खतियान के अनुसार जमीन का विवरण निम्न प्रकार है**

| मौज एवं थाना नं0 | खाता नं0 | खतियानदार का नाम एवं पता | खेसरा नं0 | किस्म जमीन | रकवा ए0–डी0 |
|---|---|---|---|---|---|
| बॉकी 277 | 497 | श्री राधाकृष्ण लक्ष्मीनारायण ठाकुर जी सेवायत मसोमात फुल सुन्दरी ओझायन निवासी निज ग्राम टोले—फटकी | 837 | मंदिर | 00–40 |
| | | | 838 | धनहर दो | 00–71 |
| | | | 839 | धनहर दो | 00–2[illegible] |
| | | | 841 | भिन्डा | 01–[illegible] |
| | | | 842 | पोखर | 0[illegible]–44 |
| | | | 843 | भिन्डा | 00–[illegible] |
| | | | 844 | भिन्डा | 0[illegible]–[illegible] |
| | | | 857 | भीट एक | [illegible] |
| | | | 914 | धनहर दो | [illegible]–2[illegible] |
| | | | 835 | मकान | 00–05 |
| | | | 836 | धनहर | 00–50 |
| | | | | कुल | 05–43 |

| | |
|---|---|
| | उक्त मंदिर को विकसित एवं सौन्दर्यीकरण करने में स्थानीय लोगों की ओर से कोई आपत्ति नहीं है। |
| ख—अगर यह रैयती भूमि पर अवस्थित है तब क्या संबंधित रैयत द्वारा उससे संबंधित जमीन को बिहार सरकार के नाम दान दिया गया है ? | उक्त मंदिर रैयती भूमि पर नहीं है। मंदिर का भूमि श्री राधाकृष्ण लक्ष्मीनारायण ठाकुर जी के नाम से है। सी0एस0खतियानी में भी उक्त जमीन श्री राधाकृष्ण लक्ष्मीनारायण ठाकुर जी के नाम से है जिसमे मुनतजमीकार का नाम दर्ज है। इस प्रकार मंदिर का जमीन रैयती खाता की नहीं है। |

| | |
|---|---|
| ङ–स्थल कच्ची/पक्की सड़क से जुड़ा है या नहीं ? | उक्त मंदिर का स्थल पक्की सड़क से जुड़ा है। सड़क सही स्थिति में है। |
| घ–स्थल free flow of traffic है या नहीं ? | प्रखण्ड मुख्यालय से मंदिर तक पहूँचने के लिए सीधा सडक है जो यातः–यात के लिए उपर्युक्त है। |
| च–स्थल पर पूर्व से पर्यटकों की सुविधा हेतु पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, पर्यटकों को ठहरने के लिये धर्मशाला/विश्रामालय उपलब्ध है या नहीं ? | स्थल पर पूर्व से पेयजल की सुविधा हेतु एक चापाकल है। स्थल पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है। पर्यटकों को ठहरने के लिए धर्मशाला/विश्रामालय नहीं है। |
| छ–पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकीय सुविधा का निर्माण करने के बाद उसका देख–रेख किस संस्था के द्वारा कितने लोगों की कमिटी के द्वारा की जाएगी। | पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकीय सुविधा का निर्माण करने के बाद उसका देख रेख मंदिर की सेवायत एवं गॉव के प्रबुध लोगों की कमिटी द्वारा की जा सकती है। |

अतः उपर्युक्त प्रतिवेदन के आलोक में प्रखण्ड मधेपुर में अवस्थित लक्ष्मीनाथ गोंसाई मंदिर फैटकी कुटी को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने हेतु प्राप्त प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न करते हुए इसकी स्वीकृति की दिशा मे समुचित कार्रवाई करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

अनुलग्नक–यथावर्णित।

विश्वासभाजन,

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।

# समाहरणालय, मधुबनी

**(जिला विकास प्रशाखा)**

पत्रांक 409 / जि०वि०।

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।

सेवा में

सरकार के प्रधान सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार पटना।

मधुबनी दिनांक 03 वीं जुलाई 2014 ई

विषयः— **मधुबनी जिला अन्तर्गत मधेपुर प्रखण्ड के विदेश्वर नाथ महादेव मंदिर भीठ भगवानपुर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने संबंधित प्रतिवेदन का प्रेषण।**

प्रसंगः— आपका पत्रांक—1336 दिनांक—18.06.2014

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में मधेपुर प्रखण्ड के विदेश्वर नाथ महादेव मंदिर भीठ भगवानपुर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने हेतु भूमि उपलब्धता से संबंधित अंचल अधिकारी, मधेपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक—640 दिनाक—01.07.2014 से विदेश्वर नाथ महादेव मंदिर भीठ भगवानपुर के संबंध में विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराया है।

उक्त दर्शनीय स्थल को पर्यटक स्थल के रूप मे विकसित करने हेतु वाँछित सूचनाएं विहित प्रपत्र मे विन्दुवार निम्न रूप से अंकित है :—

<table>
<tr><td>क—क्या उपर्युक्त मंदिर स्थल सरकारी भूमि पर अवस्थित है तथा इसे विकसित एवं सौन्दर्यीकरण करने में कोई आपत्ति तो नहीं है ?</td><td>उपर्युक्त मंदिर का स्थल मौजा भीठ भगवानपुर थाना नं0 279 के रिविजनल सर्वे खतियान खाता न0 1436 में श्रीश्री 108 विदेश्वर नाथ जी (महादेव) के नाम से है। जिसमें सेवायत के रूप मे स्थानीय पुजारी लोगो का नाम दर्ज है।भूमि मंदिर की है।<br>रिविजनल सर्वे खतियान के अनुसार जमीन का विवरण निम्न प्रकार है।
<table>
<tr><td>मौज एव थाना न0</td><td>खाता न0</td><td>खतियानदार का नाम एव पता</td><td>खसरा न0</td><td>किस्म जमीन</td><td>रकबा ए0 डी0</td></tr>
<tr><td>भीठ भगवानपुर 279</td><td>1436</td><td>श्रीश्री 108 विदेश्वर नाथ जी सेवायत सत्यदेव ठाकुर वगैरह पिता—गुली ठाकुर एव अन्य</td><td>8635</td><td>मकान मय सहन</td><td>00—41</td></tr>
</table>
उक्त मंदिर को विकसित एवं सौन्दर्यीकरण करने में स्थानीय लोगों की ओर से कोई आपत्ति नहीं है।</td></tr>
<tr><td>ख—अगर यह रैयती भूमि पर अवस्थित है तब क्या संबंधित रैयत द्वारा उससे संबंधित जमीन को बिहार सरकार के नाम दान दिया गया है ?</td><td>उक्त मंदिर रैयती नहीं है। मंदिर का भूमि श्रीश्री 108 विदेश्वर नाथ महादेव के नाम से है। जिसमें सेवायत परिवारो का नाम दर्ज है</td></tr>
<tr><td>ग—स्थल कच्ची / पक्की सडक से जुड़ा है या नहीं ?</td><td>उक्त मंदिर का स्थल खरंजा सडक से जुडा है। खरंजा सडक पुराना एवं जर्जर हाल में है।</td></tr>
<tr><td>घ—स्थल free fiow of traffic है या नहीं ?</td><td>प्रखण्ड मुख्यालय से भीठ भगवानपुर गॉव के लिए पक्की सड़क उपलब्ध है। पक्की सड़क के स्थल तक सीधा खरजा सड़क है। पक्की करण की आवश्यक है।</td></tr>
<tr><td>च—स्थल पर पूर्व से पर्यटकों की सुविधा हेतु पेयजल की व्यवस्था,</td><td>स्थल पर पूर्व से पर्यटकों को सुविधा हेतु पेयजल की सुविधा हेतु एक चापाकल है जो मेला के समय लोगों की भीड़ होने पर एक [illegible]</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| शौचालय की व्यवस्था, पर्यटकों को ठहरने के लिये धर्मशाला / विश्रामालय उपलब्ध है या नहीं ? | रहने से कठिनाई होती है। पेयजल की भरपूर सुविधा के लिए पानी टंकी की आवश्यकता है। स्थल पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है पर्यटकों को ठहरने के लिए धर्मशाला / विश्रामालय नहीं है |
| छ–पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकीय सुविधा का निर्माण करने के बाद उसका देख–रेख किस संस्था के द्वारा कितने लोगों की कमिटी के द्वारा की जाएगी। | पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकीय सुविधा का निर्माण करने के बाद उसका देख रेख मंदिर के सेवायत परिवारों के सदस्यों एवं गाँव के प्रबुद्ध लोगों की कमिटी द्वारा की जा सकती है। |

अतः उपर्युक्त प्रतिवेदन के आलोक में प्रखण्ड मधेपुर में अवस्थित विदेश्वर नाथ महादेव मंदिर भीट भगवानपुर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने हेतु प्राप्त प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न करते हुए इसकी स्वीकृति की दिशा में समुचित कार्रवाई करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

अनुलग्नक– यथावर्णित।

विश्वासभाजन

जिला पदाधिकारी
मधुबनी।

# समाहरणालय, मधुबनी

**(जिला विकास प्रशाखा)**

पत्रांक....406../ जि०वि०।

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी
मधुबनी।

सेवा मे,

सरकार के प्रधान सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार पटना।

मधुबनी, दिनांक.. 03 वी जुलाई 2014 ई०

विषयः– मधुबनी जिला अन्तर्गत झंझारपुर प्रखण्ड के महादेव मंदिर वार्ड नं0 3, झंझारपुर नगर पंचायत को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने संबंधित प्रतिवेदन का प्रेषण।

प्रसंग– आपका पत्रांक–1336 दिनांक–18.06.2014

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक मे झझारपुर प्रखण्ड के महादेव मंदिर वार्ड न0 3, झझारपुर नगर पंचायत को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने हेतु भूमि उपलब्धता से संबंधित अंचल अधिकारी झझारपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक–513 दिनांक–01.07.14 एवं 523 दिनांक–2.07.14 से झंझारपुर प्रखण्ड के महादेव मंदिर वार्ड न0 3, झझारपुर नगर पचायत के संबंध मे विहित प्रपत्र मे प्रतिवेदन उपलब्ध कराया है।

उक्त दर्शनीय स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने हेतु वॉछित सूचनाए विहित प्रपत्र मे बिन्दुवार निम्न रूप से अंकित है :–

| | |
|---|---|
| क–क्या उपर्युक्त मंदिर स्थल सरकारी भूमि पर अवस्थित है तथा इसे विकसित एवं सौन्दर्यीकरण करने में कोई आपत्ति तो नहीं है ? | यह मंदिर सरकारी भूमि पर अवस्थित है जो बहुत ही पुराना मंदिर है। अवस्थित मंदिर का सी0एस0 खतियान के अनुसार [illegible] झझारपुर थाना नं0 309 खाता नं0 822 खेसरा न0 3917 [illegible] 0–03 डी0 किस्म मंदिर खतियानी रैयत–गैरमजरूआ आम एवं खाता न0 821 खेसरा नं0 3916 रकबा 01–25 डी0 किस्म भीडा खतियानी रैयत–गैरमजरूआ खास है। उसे सौन्दर्यीकरण एवं विकसित करने मे कोई आपत्ति नहीं है। |
| ख–अगर यह रैयती भूमि पर अवस्थित है तब क्या संबंधित रैयत द्वारा उससे संबंधित जमीन को बिहार सरकार के नाम दान दिया गया है ? | मंदिर सरकारी जमीन पर अवस्थित है। |
| ग–स्थल कच्ची/पक्की सड़क से जुड़ा है या नहीं ? | मंदिर पक्की सड़क से जुड़ा हुआ है। |
| घ–स्थल free flow of traffic है या नहीं ? | स्थल free flow of traffic है। |
| च–स्थल पर पूर्व से पर्यटकों की सुविधा हेतु पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, पर्यटकों को ठहरने के लिये धर्मशाला/विश्रामालय उपलब्ध है या नहीं | स्थल पर पूर्व से पर्यटकों के सुविधा हेतु पेयजल उपलब्ध है परन्तु शौचालय/धर्मशाला करीब आधा कि0मी0 पर अवस्थित है |
| छ–पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकीय सुविधा का निर्माण करने के बाद उसका देख–रेख किस संस्था के द्वारा कितने लोगो की कमिटी के द्वारा की जाएगी। | पर्यटन विभाग एवं पर्यटकीय सुविधा का निर्माण करने के बाद इसका देख–रेख पुजारी तथा ग्रामीणों के द्वारा निर्मित संस्था के लगभग 15 लोगों के द्वारा की जाएगी। |

अतः उपर्युक्त प्रतिवेदन के आलोक मे झझारपुर प्रखण्ड के महादेव मंदिर वार्ड न0 3, झझारपुर नगर पचायत को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने हेतु प्राप्त प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न करते हुए इसकी स्वीकृति की दिशा में समुचित कार्रवाई करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

अनुलग्नक–यथावर्णित।

विश्वासभाजन

जिला पदाधिकारी
मधुबनी।

# समाहरणालय, मधुबनी
**(जिला विकास प्रशाखा)**

पत्रांक....407.../जि0वि0।

प्रेषक

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।

सेवा में,

सरकार के प्रधान सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार पटना।

मधुबनी, दिनांक...03.....वीं जुलाई, 2014 ई0।

विषयः— **मधुबनी जिला अन्तर्गत लखनौर प्रखण्ड के तपेश्वर नाथ मंदिर मैवी को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने संबंधित प्रतिवेदन का प्रेषण।**

प्रसंग— आपका पत्रांक—1336 दिनांक—18.06.2014

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में लखनौर प्रखण्ड के तपेश्वर नाथ मंदिर मैवी को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने हेतु भूमि उपलब्धता से संबंधित अंचल अधिकारी लखनौर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक—489 दिनांक—30.06.2014 से तपेश्वर नाथ मंदिर मैवी के संबंध में विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराया है।

उक्त दर्शनीय स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने हेतु वांछित सूचनाएं विहित प्रपत्र में बिन्दुवार निम्न रूप से अंकित है :—

| | |
|---|---|
| क—क्या उपर्युक्त मंदिर स्थल सरकारी भूमि पर अवस्थित है तथा इसे विकसित एवं सौन्दर्यीकरण करने में कोई आपत्ति तो नहीं है ? | यह मंदिर सरकारी भूमि पर अवस्थित है। जिसका किस्म गैर मजरूआ आम पुराना सर्वे खतियान में दर्ज है। अवस्थित मंदिर का खाता 1018 खेसरा 1253 रकवा 0—0—5 (पाँच)धूर है। खाता 1018 खेसरा 1252 रकवा 0—14—18 (चौदह कट्ठा अठारह धूर)का कैम्पस है उसे सौन्दर्यीकरण एवं विकसित करने में कोई आपत्ति नहीं है। |
| ख—अगर यह रैयती भूमि पर अवस्थित है तब क्या संबंधित रैयत द्वारा उससे संबंधित जमीन को बिहार सरकार के नाम दान दिया गया है ? | मंदिर रैयती जमीन पर अवस्थित नहीं है। |
| ग—स्थल कच्ची/पक्की सड़क से जुड़ा है या नहीं ? | मंदिर कच्ची सड़क से जुड़ा हुआ है। |
| घ—स्थल free flow of traffic है या नहीं ? | स्थल free flow for traffic है |
| च—स्थल पर पूर्व से पर्यटकों की सुविधा हेतु पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, पर्यटकों को ठहरने के लिये धर्मशाला/विश्रामालय उपलब्ध है या नहीं ? | स्थल पर पेयजल की व्यवस्था है। शौचालय, धर्मशाला, विश्रामालय की व्यवस्था नहीं है। |
| छ—पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकीय सुविधा का निर्माण करने के बाद उसका देख—रेख किस संस्था के द्वारा कितने लोगों की कमिटी के द्वारा की जाएगी। | पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकीय सुविधा का निर्माण करने के बाद उसका देख—रेख तपेश्वर नाथ मंदिर में गठित ग्यारह सदस्य कमिटी द्वारा की जायेगी। |

अतः उपर्युक्त प्रतिवेदन के आलोक में प्रखण्ड लखनौर में अवस्थित तपेश्वर नाथ मंदिर मैवी को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने हेतु प्राप्त प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न करते हुए इसकी स्वीकृति की दिशा में समुचित कार्रवाई करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

अनुलग्नक—यथावर्णित।

विश्वासभाजन

3/7/14

जिला पदाधिकारी

बिहार सरकार
पर्यटन विभाग

पत्रांक -प0वि0(विविध)-17/010- 1386 /पटना, दिनांक 18 जून, 2014

प्रेषक,

बी0 प्रधान,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।

विषय :- मधुबनी जिलान्तर्गत विभिन्न पर्यटक स्थलों को विकसित करने के लिये भूमि उपलब्धता तथा अन्य बिन्दुओं पर प्रतिवेदन देने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि मधुबनी जिलान्तर्गत निम्नलिखित स्थानों को पर्यटक स्थलके रूप विकसित करने का प्रस्ताव पर्यटन विभाग के विचाराधीन है । इन स्थलों के संबंध में निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराने की कृपा की जाए -

1- सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, काको
2- लक्ष्मी गोसाई मंदिर, मधेपुर
3- भिधेश्वर स्थान, भगवानपुर
4- महादेव मंदिर वार्ड नं0 3, झंझारपुर
5- तपनेश्वरनाथ मंदिर, नैवी

(क) क्या उपर्युक्त मंदिर स्थल सरकारी भूमि पर अवस्थित है तथा इसे विकसित एवं सौन्दर्यीकरण करने में कोई आपत्ति तो नहीं है ?

(ख) अगर यह रैयती भूति पर अवस्थित है तब क्या संबंधित रैयत द्वारा उससे संबंधित जमीन को बिहार सरकार के नाम दान दिया गया है ?

(ग) स्थल कच्ची/ पक्की सड़क से जुड़ा है या नहीं ?

(घ) स्थल free flow of traffic है या नहीं ?

(च) स्थल पर पूर्व से पर्यटकों की सुविधा हेतु पेय जल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, पर्यटकों को ठहरने के लिये धर्मशाला/ विश्रामालय उपलब्ध है या नहीं ?

(छ) पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकीय सुविधा का निर्माण करने के बाद उसका देख-रेख किस संस्था के द्वारा कितने लोगों की कमिटी के द्वारा की जायेगी ?

विश्वासभाजन,

12/6/14

( बी० प्रधान )
प्रधान सचिव ।

## 1. Shantinath Mahadeo Temple, Jhanjharpur Madhubani

FACILITIES TO BE CREATED:

- SAND STONE FLOORING
- GHAT ON POND
- SOLAR LIGHTS
- DRINKING WATER
- TOILET
- BOUNDARY WALL
- ENTRANCE GATE
- SIGNAGES

ESTIMATED COST:- **RS.** 43,64,000

## 2. Panchanath Mahadeo Temple, Jhanjharpur Madhubani

FACILITIES TO BE CREATED:

- SAND STONE FLOORING
- GHAT ON POND
- SOLAR LIGHTS
- DRINKING WATER
- TOILET
- BOUNDARY WALL
- ENTRANCE GATE
- SIGNAGES

ESTIMATED COST:- **RS.** 55,00,000

## 3. Bhairab Asthan, Jhanjharpur Madhubani

FACILITIES TO BE CREATED:

- SAND STONE FLOORING
- SOLAR LIGHTS
- DRINKING WATER
- TOILET
- SIGNAGES

ESTIMATED COST:- **RS.** 45,00,000

## 4. Gauri Shankar asthan jamthar, Jhanjharpur Madhubani

FACILITIES TO BE CREATED:

- SAND STONE FLOORING
- GHAT ON POND
- SOLAR LIGHTS
- DRINKING WATER
- SIGNAGES

ESTIMATED COST:- **RS.** 45,50,000

## 5. Mahadeo Asthan Ward No-3, Jhanjharpur Madhubani

FACILITIES TO BE CREATED

- SAND STONE FLOORING
- GHAT ON POND
- SOLAR LIGHTS
- DRINKING WATER
- TOILET
- BOUNDARY WALL
- ENTRANCE GATE
- SIGNAGES

ESTIMATED COST:- **RS.** 35,50,000

## 6. Singheswarnath Mahadeo Temple, Kako, Jhanjharpur Madhubani

FACILITIES TO BE CREATED

- SAND STONE FLOORING
- GHAT ON POND
- SOLAR LIGHTS
- DRINKING WATER
- TOILET
- SIGNAGES

ESTIMATED COST:- **RS.** 35,50,000

## 7. Tapneshawarnath Mahadeo Temple MabiLakhnaur, Madhubani

FACILITIES TO BE CREATED:

- SAND STONE FLOORING
- GHAT ON POND
- SOLAR LIGHTS
- DRINKING WATER
- TOILET
- BOUNDARY WALL
- ENTRANCE GATE
- SIGNAGES

ESTIMATED COST:- **RS.** 42,50,000

## 8. Radha Krishna Temple, Lakhnaur Madhubani

FACILITIES TO BE CREATED:

- SAND STONE FLOORING
- GHAT ON POND
- SOLAR LIGHTS
- DRINKING WATER
- TOILET
- SIGNAGES

ESTIMATED COST:- **RS.** 22,71,000

## 9. Auxy Mahadeo Temple, Lakhnaur Madhubani

FACILITIES TO BE CREATED:

- SAND STONE FLOORING
- GHAT ON POND
- SOLAR LIGHTS
- DRINKING WATER
- TOILET
- BOUNDARY WALL
- ENTRANCE GATE
- PCC PATHWAY
- SIGNAGES

ESTIMATED COST:- **RS.** 36,58,000

## 10. Chamunda asthan, Pachhi Madhepur, Madhubani

FACILITIES TO BE CREATED:

- SAND STONE FLOORING
- SOLAR LIGHTS
- DRINKING WATER
- TOILET
- BOUNDARY WALL
- ENTRANCE GATE
- SIGNAGES

ESTIMATED COST:- **RS.** 34,50,000

## 11. Laxmi Gosai Temple, Faitkikuti Madhepur, Madhubani

FACILITIES TO BE CREATED:

- SAND STONE FLOORING
- GHAT ON POND
- SOLAR LIGHTS
- DRINKING WATER
- TOILET
- BOUNDARY WALL
- ENTRANCE GATE
- SIGNAGES

ESTIMATED COST:- **RS.** 75,00,000

## 12. Bideswar Asthan , Bhith Bhagwanpur Madhepur,Madhubani

FACILITIES TO BE CREATED:

- SAND STONE FLOORING
- SOLAR LIGHTS
- DRINKING WATER
- TOILET
- BOUNDARY WALL
- SIGNAGES

ESTIMATED COST:- **RS.** 30,00,000

13. **Videshwar asthan, Jhanjharpur Madhubani**

FACILITIES TO BE CREATED:

- SAND STONE FLOORING
- GHAT ON POND
- SOLAR LIGHTS
- DRINKING WATER
- TOILET
- BOUNDARY WALL
- ENTRANCE GATE
- SIGNAGES

ESTIMATED COST:- **RS.** 36,50,000

**14. Singhbahini Durga Temple Lohna, Madhubani**

FACILITIES TO BE CREATED:

- SAND STONE FLOORING
- GHAT ON POND
- SOLAR LIGHTS
- DRINKING WATER
- TOILET
- BOUNDARY WALL
- ENTRANCE GATE
- SIGNAGES

ESTIMATED COST:- **RS.** 22,71,000

**15. Surya Mandir Parsadham, Madhubani**

FACILITIES TO BE CREATED:

- SAND STONE FLOORING
- GHAT ON POND
- SOLAR LIGHTS
- DRINKING WATER
- TOILET
- BOUNDARY WALL
- ENTRANCE GATE
- SIGNAGES

ESTIMATED COST:- **RS.** 48,50,000

**16. Vidyapati Birthplace Bisfi, Madhubani**

FACILITIES TO BE CREATED:

- SAND STONE FLOORING
- GHAT ON POND
- SOLAR LIGHTS
- DRINKING WATER
- TOILET
- BOUNDARY WALL
- ENTRANCE GATE
- SIGNAGES

ESTIMATED COST:- **RS.** 43,98,000

## 17. Maa Parmeshwari Asthan Andhrathari, Madhubani

FACILITIES TO BE CREATED:

- SAND STONE FLOORING
- SOLAR LIGHTS
- DRINKING WATER
- TOILET
- BOUNDARY WALL
- ENTRANCE GATE
- SIGNAGES

ESTIMATED COST:- **RS.** 55,90,000